सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 03, सोमवार, *शाके 1946*- मार्च 24, 2025 *Chaitra 03, Monday, Saka 1946- March 24, 2025*	

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 19, 2025

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259719:- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 213 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा चक राजासर 1 बीकेके 2 बीकेके 4 बीकेके 1 एनएचआरए 1 एनएचआरबी 14 बारानी 15 बारानी चक सरदारपुरा चक देईदासपुरा ढाणी चारणान के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नोहर (जिला हनुमानगढ) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259744 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 241 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा 19 डीडब्लयूडी, 8 एएम, 21-22 डीडब्लयूडी, 17 डीडब्लयूडी, 24 डीडब्लयूडी, 4 के डब्लयूडी, 9 केडब्लयूडी, 6 केडब्लयूडी, 8 केडब्लयूडी, 6 एएम, 9 एएम, 10 एएम, 16 डीडब्लयूडी के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका रावतसर (जिला हनुमानगढ) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259751 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 421 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत राजपुरा का राजस्व ग्राम सरदारपुरा बास एवं ग्राम पंचायत डोभी का राजस्व ग्राम मोतीपुरा बास के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका भादरा (जिला हनुमानगढ) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259759 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 521 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा Satipura - 45 NGC Satipura - 50 NGC (RURAL) Jwala Singh Wala - 51 NGC (RURAL) Jwala Singh Wala - 48 NGC (RURAL) Amarpura Thedi - 10 HMH Amarpura Thedi - 13 HMH (RURAL) Amarpura Thedi - 15 HMH (RURAL) Kohla - 16 HMH (RURAL) Kohla - 17 HMH (RURAL) Kohla - 14 HMH (RURAL) Kohla - 12 HMH Srinagar - 18 HMH (RURAL) 2 KNJ - 3 KNJ (RURAL) 2 KNJ - 2 KNJ 2 KNJ - 1 KNJ के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद हनुमानगढ (जिला हनुमानगढ) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259767 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत जूसरी की सीमा क्षेत्र से मकराना का ग्रामीण क्षेत्र (राजस्व ग्राम मकराना का ग्रामीण क्षेत्र जो वर्तमान में ग्राम पंचायत जूसरी में सम्मिलित हैं), ग्राम पंचायत गुणावती (राजस्व ग्राम गुणावती का ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायत गुढा में सम्मिलित क्षेत्र) ग्राम पंचायत दिरढाणी में (ग्राम पंचायत गुढा का क्षेत्र) के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद मकराना (जिला डीडवाना-कुचामन) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259773 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 271 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा राजस्व ग्राम सीतसर, खांगा का बास, राजस्व ग्राम वारिसपुरा, दीपलवास, राजस्व ग्राम भूरीवास एवं बाडलवास के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद झुन्झुनू (जिला झुन्झुनू) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259784 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 146 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत राजोता के राजस्व ग्राम गागड़वास एवं ग्राम पंचायत नानूवाली बावडी के राजस्व ग्राम ज्योतिबा नगर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका खेतडी, जिला नीमकाथाना (वर्तमान जिला झुन्झुनू) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259791 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 492 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम टोडी, ग्राम पंचायत दुडिया का राजस्व ग्राम दुडिया, ग्राम पंचायत गुढ़ा बावनी का राजस्व ग्राम ढ़ाणी बड़ की, ढ़ाणी कनिका, ढाणी खरबासा, खेदड़ा की ढ़ाणी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका गुढागौडजी (जिला झुन्झुनू) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259795 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 118 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत गोड़ावास का राजस्व ग्राम गोड़ावास, राजनगर, नीमकाथाना ग्रामीण, ग्राम पंचायत हीरानगर का राजस्व ग्राम हीरानगर, ग्राम पंचायत कुरबड़ा का राजस्व ग्राम कुरबड़ा, मालनगर, बृजसिंहवास के सम्पूर्ण क्षेत्र को नगर परिषद नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना (वर्तमान जिला सीकर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में

सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259804 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 176 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत हॉसपुर का राजस्व ग्राम खनीपुरा एवं ग्राम पंचायत भारणी का राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर ग्रामीण के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका श्रीमाधोपुर, जिला नीमकाथाना (वर्तमान जिला सीकर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259813 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 591 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा लोसल छोटी सम्पूर्ण ग्राम पंचायत लोसल छोटी, बिजारणियों की ढाणी, गणेशपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र भीराना राजस्व ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र, प्रतापपुरा राजस्व ग्राम सम्पूर्ण क्षेत्र, गुमानपुरा राजस्व ग्राम सम्पूर्ण के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका लोसल (जिला सीकर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259827 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 493 दिनांक 30.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत डीडवाना (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र), ग्राम पंचायत चांदसेन का राजस्व ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 6, सालगरामपुरा चक नं0 7, राजस्व ग्राम चांदसेन का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राजोली का राजस्व ग्राम राजोली, चक राजोली, श्योन्दा की झोपडीयां, (सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र) के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद लालसोट (जिला दौसा) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259837 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1583 दिनांक 30.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत भांडेडा का राजस्व ग्राम जागीर बांदीकुई, भोज्यावालों का बास, टीकावाली, बडावास, बच्छी का बास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत नारायणपुरा का राजस्व ग्राम बाढ बिशनपुरा सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत श्यालावासकलां का राजस्व ग्राम श्यालावासकलां, श्यालावासखुर्द, कुटी, बाढबगीची, मुकरपुरा, बाढ बिच्छी सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत पंडितपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत केसरीसिंहपुरा का राजस्व ग्राम हरनाथपुरा के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका बांदीकुई (जिला दौसा) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259845 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 431 दिनांक 9.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा का राजस्व ग्राम सिणधरी चौंसीरा, सिणधरी उर्फ बेड, किशनपुर, ग्राम पंचायत सिणधरी चारणान का राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान, वाडेल नाडी, गादेसरा, सती जसनाथनगर, ग्राम पंचायत नाकोडा का राजस्व ग्राम आदर्श नाकोडा, ग्राम पंचायत विलासर का राजस्व ग्राम धन्ने की ढाणी, ग्राम पंचायत पायलाखुर्द का राजस्व ग्राम गादेसर सिटी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका सिणधरी (जिला बालोतरा) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259854 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 36 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा आवासन मण्डल क्षेत्र (राजस्व ग्राम माजीवाला, खारचों की ढाणी, मेगा आवास योजना (राजस्व ग्राम जसोल) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बालोतरा (जिला बालोतरा) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259860 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 307 दिनांक 8.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत नंगला रायसिस का राजस्व ग्राम नंगला समवादी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत दिवाकरी का राजस्व ग्राम दिवाकरी ग्राम पंचायत बेलाका का राजस्व ग्राम बेलाका व बेरका का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत भाखेड़ा का राजस्व ग्राम लिवारी, भाखेड़ा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर निगम अलवर (जिला अलवर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर निगम में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर निगम में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259868 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 341 दिनांक 8.1.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम रामगंज बालाजी, नानकपुरिया, भंवरदा, रायता, उमरच, दौलाडा, बालापुरा, कुआरती, बीबनवा, माटुण्डा, श्योपुरिया बाबडी, गांधीग्राम, गणपतपुरा, हट्टीपुरा, अस्तोली, कांजरी सिलोर, रधुवीरपुरा, बहादुरपुरा, सिलोर के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बून्दी (जिला बून्दी) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259880 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 373 दिनांक 8.1.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम नैनवॉ, दलेलपुरा, रालड़ी, खानपुरा, टोपा उर्फ नयागांव, छोटी पडाप, रजलावता, बडी पडाप के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नैनवा (जिला बून्दी) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259887 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 461 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत सुमेरगंज मण्डी का राजस्व ग्राम सुमेरगंज मंडी, अंधोरा, खेडली माफी, मुई, ग्राम पंचायत मोहनपुरा का राजस्व ग्राम मोहनपुरा छत्रपुरा, दरामाताजी, झीडा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका इन्द्रगढ (जिला बून्दी) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259903 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 681 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत बाडौलिया का राजस्व ग्राम बाडौलिया, जावराखुर्द, जावरकालां तिन्दुवा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत झालरबावडी का राजस्व ग्राम झालरबावडी थमलाव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत सणिता का राजस्व ग्राम सणिता, सांखलों का ढुंडा, महुपुरा, देवपुरिया, कचोलिया एवं नीम का खेड़ा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका रावतभाटा (जिला चित्तौडगढ) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259912 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 381 दिनांक 27.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत 3 E Chhoti का राजस्व ग्राम 3 E Chhoti ग्राम पंचायत 5 E Chhoti का राजस्व ग्राम 5 E Chhoti, 6 E Chhoti, 1 A, ग्राम पंचायत 4 ML का राजस्व ग्राम 7 E Chhoti, ,ग्राम पंचायत sahuwala का राजस्व ग्राम 3 A Chhoti, ग्राम पंचायत 2 ML का राजस्व ग्राम 2E Chhoti, 4 E Chhoti, 2 ML Nathawali, ग्राम पंचायत 4Z का राजस्व ग्राम 5Z, 1E Chhoti, 1B Chhoti के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद श्रीगंगानगर (जिला श्रीगंगानगर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259923 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 401 दिनांक 8.1.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम लीला सेवडी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र एवं राजस्व ग्राम गनाहेडा का नाला के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद पुष्कर (जिला अजमेर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259933 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 651 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत नान्दला के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नसीराबाद (जिला अजमेर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259949 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 63 दिनांक 15.12.2024 के द्वारा राजस्व ग्राम बमूलियां, राजस्व ग्राम सुन्दलक के सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बारां (जिला बारां) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259963 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 91 दिनांक 19.12.2024 के द्वारा राजस्व ग्राम बरखेडा, चकशाहबाद के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका अन्ता (जिला बारां) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259974 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 811 दिनांक 17.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम डिस, कीर्तनसिंहपुरा, नालपुरा के सीमा क्षेत्र को नगर पालिका बर्डोद (जिला कोटपूतली-बहरोड) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259985 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 781 दिनांक 17.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत मेडिया के राजस्व ग्राम मेडिया, शम्भूपुरा, शोभापुरा, रामपुरा मेवातियान, मकरेडा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत ब्यावरखास का राजस्व ग्राम ब्यावरखास का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत सरमालिया का राजस्व ग्राम सरमालिया का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत देलवाडा के राजस्व ग्राम देलवाडा, दौलतपुरा बलाईयान, सैंसपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत बलाड के राजस्व ग्राम बलाड, गढीथोरियान, कुशालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत मालपुरा (कालियावास) के राजस्व ग्राम मालपुरा (कालियावास) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत नून्द्रीमालदेव के राजस्व ग्राम नून्द्रीमालदेव का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत गणेशपुरा के राजस्व ग्राम गणेशपुरा शिवनाथपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा के राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत ठीकराना महेन्द्रातान के राजस्व ग्राम ठीकराना महेन्द्रातान, बाडिया श्यामा, रामसर बलाइयान का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत जालिया प्रथम के राजस्व ग्राम जालिया प्रथम, बाडिया जग्गा, का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत नून्दीमेन्द्रातान के राजस्व ग्राम नून्द्रीमेन्द्रातान, सिरोला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत फतेहगढ सल्ला का राजस्व ग्राम रतनपुरा सरदारा, डूंगरखेडा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत नरबदखेडा के राजस्व ग्राम केसरपुरा (परसा) एवं भोजपुरा के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद ब्यावर (जिला ब्यावर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14259995 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 751 दिनांक 17.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत आंटोली का राजस्व ग्राम सुवादियाडी, अडूस्या का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत देवल का राजस्व ग्राम प्राचीन

चतरपुरा, दण्ड की ढाणी, आसन जोगियान, नवीन चतरपुरा, आसन जोगियान छोटी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत बागड़ी का राजस्व ग्राम गणेशपुरा, बडगांव के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका लाम्बाहरिसिंह (जिला टोंक) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260005 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1491 दिनांक 30.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत किरावल का राजस्व ग्राम कुरथल का समस्त सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत धौली का राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा भीपूर, नुक्कड (कल्याणपुरा), मालियों की ढाणी, मीणो की ढाणी का समस्त सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत सोडा का राजस्व ग्राम बागरिया की ढाणी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका डिग्गी (जिला टोंक) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260016 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 621 दिनांक 10.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत बृजलालनगर का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत राजपुरा का राजस्व ग्राम हाथगी का सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सिन्धोलिया का राजस्व ग्राम दौराई (मालियो का) नायको की ढाणी, बैरवो की दौराई का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत रीण्डल्या बुजुर्ग का राजस्व ग्राम धनोता, कल्याणपुरा का सीमा क्षेत्र ग्राम पंचायत टोरडी का राजस्व ग्राम अम्बापुरा मय ढाणियां (टोरडी स्टेशन गुवालों की ढाणी) का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

ग्राम पंचायत डूंगरीकला का राजस्व ग्राम अजमेरों की ढाणी, जाजमों की ढाणी का क्षेत्र ग्राम चान्दसेन का राजस्व ग्राम सुईवालों की ढाणी, नागौरियों की ढाणी, अविकानगर का क्षेत्र ग्राम पंचायत देशमा का राजस्व ग्राम पीनणी, लक्ष्मीपुरा, श्योपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका मालपुरा (जिला टोंक) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260026 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 301 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत बड़गांव का राजस्व ग्राम बडगांव, ग्राम पंचायत बडी का राजस्व ग्राम हवाला कल्ला, हवाला खुर्द, ग्राम पंचायत बेदला का राजस्व ग्राम बेदला, बेदला खुर्द, ग्राम पंचायत भुवाण का राजस्व ग्राम भुवाणा, रूपनगर, ग्राम पंचायत सापेटिया का राजस्व ग्राम सापेटिया, सुखेर, ग्राम पंचायत शोभागपुरा का राजस्व ग्राम शोभागपुरा, रेबारियों का गुड़ा, रधुनाथपुरा, ग्राम पंचायत सीसारमा का राजस्व ग्राम सीसारमा, ग्राम पंचायत बलिचा का राजस्व ग्राम बलिचा, ग्राम पंचायत डाकन कोटडा का राजस्व ग्राम धोल की पाटी, ग्राम पंचायत सवीना ग्रामीण का राजस्व ग्राम सवीना खेडा, ग्राम पंचायत देवाली का राजस्व ग्राम नेला, जोगी तालाब, देवाली ग्राम पंचायत तीतरडी का राजस्व ग्राम बिलिया, फान्दा, तीतरडी, गुखर मंगरी, ग्राम पंचायत देबारी का राजस्व ग्राम देबारी, झरणो की सराय, ग्राम पंचायत भोइयों की पंचोली का राजस्व ग्राम धोलीमगरी, ग्राम पंचायत बेडवास का राजस्व ग्राम बेडवास, रकमपुरा, ग्राम पंचायत कलडवास का राजस्व ग्राम कलडवास, मनवाखेडा, ग्राम पंचायत कानपुर का राजस्व ग्राम कानपुर, राजस्व ग्राम आयड़ ग्रामीण, राजस्व ग्राम देवाली (फतहपुरा) के सीमा क्षेत्र को नगर निगम उदयपुर (जिला उदयपुर) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर निगम में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर निगम में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260043 :-स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 09 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा राजस्व ग्राम सूरतपुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को नगर पालिका सपोटरा (जिला करौली) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260053 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 2275 दिनांक 17.2.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत कैलाश नगर के राजस्व ग्राम कैलाश नगर एवं हिण्डौन ग्रामीण के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद हिण्डौन (जिला करौली) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260059 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1461 दिनांक 28.1.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम उपली ओडन, निचली ओडन, गोपा कुआ, गुंजोल, कुंचोली, जोशियों की मादडी, पानेरियों की मादडी, मोड़वा, रावचा, डिंगोला के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका नाथद्वारा (जिला राजसमन्द) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है ।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260066 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1431 दिनांक 28.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत गिरधरपुरा का राजस्व ग्राम माधोपुर, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा का राजस्व ग्राम मालीपुरा रिको आवासीय कॉलोनीया एवं हाऊसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर पालिका झालरापाटन (जिला झालावाड) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर पालिका में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर पालिका में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

संख्या एफ.15(7)पंरावि/विधि/नगरीय निकाय/25/ईफाईल-53892/14260081 :- स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक 1398 दिनांक 28.1.2025 के द्वारा ग्राम पंचायत लोधा का राजस्व ग्राम जानामेडी, लोधा, ओझरिया, लालपुरा का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत सेवना का राजस्व ग्राम जानावारी, धामनीया, कांकरा, डूंगरी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र, ग्राम पंचायत बडवी का राजस्व ग्राम बारीडायलाब, ग्राम पंचायत ठिकरिया का राजस्व ग्राम ठिकरिया, भवानपुरा (ग्रामीण) के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को नगर परिषद बांसवाडा (जिला बांसवाडा) की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किये

जाने के फलस्वरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या-13) की धारा-101 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नगर परिषद में सम्मिलित की गई उक्त ग्राम पंचायत/ राजस्व ग्रामों को पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं से पृथक किया जाता है।

इसके साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101(2)(घ) के प्रावधानानुसार उक्त नगर परिषद में सम्मिलित किये गये क्षेत्र से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाया हुआ माना जायेगा ।

आज्ञा से,
इन्द्रजीत सिंह,
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव (प्रथम) ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।